न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह जोधा (आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 237 / 2019

क्रमांक / आवेदन / 2023 / दिनांक :

प्रार्थीगण

डलाराम पुत्र चन्दाराम
जाति कुम्हार, निवासी कालुवाणियों की ढाणी (मौखाब)
तहसील शिव, जिला बाडमेर
वगैरा (04)

विप्रार्थीगण

भगाराम पुत्र केराराराम
वगैरा (13)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को प्रार्थीगण की मौजा कोहरियों की बस्ती, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 273 / 8 रकबा 118.10 बीघा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय में पेश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 की पुष्टि करते हुए लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500 /– रूपये शुल्क पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आव्श्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार शिव बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

क्रमांक / आवेदन / 2023 / दिनांक :

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार **शिव** को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **भीयाड़** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी मौखाब को भेजकर लेख है कि तहसीलदार शिव एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भीयांड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव** को पालनार्थ।
5. प्रार्थी डलाराम पुत्र चन्दाराम वगैरा (04) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण भगाराम पुत्र केसराराम वगैरा (13) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner